

1083/२०८२



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT VIDE ORDER DATED 22ND DAY OF APRIL 2026 PASSED BY THIS COMMISSION IN CASE NO. 199 OF 2024 (ST. MARY'S SR. SEC. SCHOOL, BAHU AKBARPUR, ROHTAK, HARYANA - 124001 V/s PRINCIPAL SECRETARY, SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT, ROOM NO. 37, 7TH FLOOR, HARYANA CIVIL SECRETARIAT, SECTOR - 1, CHANDIGARH - 160001) ST. MARY'S SR. SEC. SCHOOL, AN UNAIDED INSTITUTION (HIGHER SECONDARY LEVEL) RUN BY DELHI CATHOLIC ARCHDIOCESE (NGO DARPAN UNIQUE ID: DL/2017/0169004) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004 WITH THE MAIN OBJECTIVE OF SUB-SERVING THE INTEREST OF THE CHRISTIAN COMMUNITY.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 23RD DAY OF APRIL 2026.

Shahid Akhter

(PROF. (DR.) SHAHID AKHTER)
MEMBER

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि 2024 के वाद संख्या 199 (सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहु अकबरपुर, रोहतक, हरियाणा - 124001 बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, कमरा सं. 37, 7वीं मंज़िल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर - 1, चंडीगढ़ - 160001) में आयोग द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के अनुसार सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक गैर सहायता प्राप्त संस्थान (उच्च माध्यमिक स्तर) जो कि दिल्ली कैथोलिक आर्चडिओसेसे (एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी: DL/2017/0169004) द्वारा संचालित है, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(g) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ईसाई समुदाय का हित साधन करना है।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के तहत दिनांक 23 अप्रैल 2026 को दिया गया।

Shahid Akhter
(प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर)
सदस्य

